

सहायक सचिव दि. 01-11-1999 से
01-11-99 से

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा

31-3-2002 तक

पत्रांक 266 / द्विवार्षिक मूल्यांकन/99 दिनांक 23 अगस्त 99.

उपरोक्त स्टाम्प अधिनियम का मूल्यांकन 1997 के अनुसार
द्विवार्षिक किस्म जमीन मूल्यांकन हेतु पूर्णरूप से सूची जनपद : : बा
तहत तत्काल स्वीकृत जारी की जा रही है, जो दिनांक 30.8.99 तक तत्काल
प्रभावो मानो जायेगी।

दिनांक: 01 अगस्त 1999.

स्थान- महोबा

(निदेशात्मक)
अपर जिलाधिकारी वि. / रा.
महोबा

प्रतिनिधि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- संस्थागत वित्त सचिव, निबन्धन एवं स्टाम्प, उ.प्र. 3। सन, तहसील।
- 2- अपर सचिव, राजस्व परिषद, स्टाम्प विभाग, इलाहाबाद।
- 3- निबन्धन महा निरीक्षक निबन्धन/स्टाम्प आयुक्त, उ.प्र. 0। इलाहाबाद।
- 4- सहा महा निरीक्षक निबन्धन/सहा. स्टाम्प आयुक्त चि स्ट मण्डल,
बादा परिक्षेत्र-महोबा।
- 5- जिला निबन्धन/जिला स्टाम्प अधिकारी, कलेक्ट्रेट, महोबा।
- 6- उप-जिलाधिकारी, महोबा/कुलपहाड़/चरखारी।
- 7- उप-निबन्धन महोबा/कुलपहाड़/चरखारी।

Recd G.P.
01/11/99
Y.S.

21/8/99
(निदेशात्मक)
अपर जिलाधिकारी वि. / रा.
महोबा

आंका जाएगा।

(Y.S.)
तहसीलदार
महोबा

अपर जिलाधिकारी
वि. / रा. स.
महोबा

Re :
जिलाधिकारी
महोबा

महोबा (सचिव)

अ) कृषि भूमि

1) शहरी क्षेत्र

1) नगर पालिका, महोबा में पड़ने वाले ग्रामों की सूची
2) नगर पंचायत कबरई में पड़ने वाले ग्रामों की सूची।

1) महोबा 2) मन्पुरा 3) दरीवा- (गिरजावादे) 4) फतेहपुर बजरिया ।

1) कबरई 2) मौलापुरा 3) गोहारी 4) मरछी 5) क. म. ।

2) अर्ध-शहरी-क्षेत्र

अर्ध-शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों की सूची ।

1) धिलवाई 2) बिहारी 3) बीजानगर 4) शाहपहाड़ी 5) ममना 6) मुद्दहरा 7) रहेलिया 8) मिरतला 9) बम्होरी गोसा 10) फडपुरा 10) बनिघातला मा.पुरा 12) चांदों 13) पचपहरा 14) न्युपुरा ।

3) विशिष्ट-ग्रामीण-क्षेत्र

विशिष्ट ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची ।

1) श्रीनगर 2) छिहरा 3) पिपराम्ना माप 4) पहरा 5) पानीकली 6) पवा 7) सिजहरी 8) मारा 9) किलरही 10) ननौरा 11) करहराकला 12) केमाहा 13) गुरहा ।

4) ग्रामीण क्षेत्र-

तहसील महोबा की उपरोक्त वर्गीकृत अंकित शेष क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं ।

5) आवासीय भूमि -

1) शहरी क्षेत्र 2) ग्रामीण क्षेत्र ।

नोट : आवासीय भूमि का मूल्यांकन तृतीय भाग में आता है ।

6) वाणिज्यिक क्षेत्र-

व्यापारिक महत्व की दृष्टि से निम्न क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र माना गया है ।

7) महोबा -

- 1) रामलीला मैदान से पुलिस चौकी तक ।
- 2) पुलिस चौकी से परमानन्द तिराहा होते हुए चरखारी बाईपास रोड कीरत सागर तक ।
- 3) सराफा बाजार/तमराई बाजार/छानगा बाजार/पुरानी गल्ला मण्ड/ग्रान्ट गंज बाजार ।
- 4) पुलिस चौकी से मनोज आईस फ्रिजरी तक ।
- 5) फतेहपुर बजरिया रेलवे फाटक से सिंचाई विभाग कार्यालय तक । ✓

नोट :- उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर सड़क सीमा छोड़कर 6 मीटर गहराई तक वाणिज्यिक दर 6500-00/- प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन आका जाएगा ।

8) कबरई :-

- 1) कबरई तिराहा से महोबा/बांदा मार्ग के दोनों मार्ग पर एक किमी मीटर तक ।
- 2) कबरई तिराहा से कानपुर मार्ग टाउन एरिया सीमा तक ।

नोट :- उपरोक्त कबरई क्षेत्र के वाणिज्यिक क्षेत्र में सड़क सीमा छोड़कर 6 मीटर गहराई तक वाणिज्यिक दर 3500-00/- प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन आका जाएगा ।

9) श्रीनगर -

ग्राम श्रीनगर की वाणिज्यिक दर 1500-00/- प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन आका जाएगा ।

महोबा (बकर)

तहसीलदार
महोबा

वरिष्ठ अधिकारी
निराकरण
क्षेत्रीय विकास विभाग
महोबा

जिलाधिकारी
महोबा

§ 1§ औद्योगिक क्षेत्र :- 1. नगर पालिका परिषद, महोबा ।

§ 2§ भट्टीपुरा § 3§ फतेहपुर बजरिया § 3§ चरखारी वाईपास § 4§ लौरी मार्ग ।

2. नगर पंचायत, कबरई ।

§ 5§ कबरई तिराहा से बांदा/महोबा दोनों ओर मार्ग में दो किलो मीटर तक ।

§ 6§ कबरई, कानपुर मार्ग में टाउन एरिया सीमा से बाहर पांच किलो मीटर तक ।

नोट :- § 1§ उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्रीत भूमि 0.00,000-00/-
§ 2§ 100- दस लाख रूपया मात्र § 3§ प्रत्येक हेक्टेयर की दर से आंका जाएगा, किन्तु यदि
विक्रीत क्षेत्रफल 0.25 डिसिमिल से कम होती है, क्षेत्र की प्रति वर्ग मीटर वाणिज्यिक
दर से दो प्रतिशत § 4§ वृद्धि करते हुए मूल्यांकित किया जाएगा ।

§ 5§ भवनों की स्थिति में 3050 स्टाम्प § 6§ सम्पत्ति का मूल्यांकन 1978 के नियम-59 के
अनुसार शहरी क्षेत्र में गैरवाणिज्यिक भवनों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता
है, जो भूमि के अतिरिक्त निर्माण का मूल्य होगा, मन्जिल के क्षेत्र का गुणा § 7§ करके
इसके निर्माण में 3000/- प्रति वर्ग मीटर एवं कच्चे निर्माण 2000/- प्रति वर्ग मीटर
तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1500/- प्रति वर्ग मीटर (पक्के का) तथा कच्चे निर्माण 1000/-
प्रति वर्ग मीटर नियत किया जाता है ।

§ 8§ शहरी क्षेत्र वाणिज्यिक भवन में प्रत्येक मन्जिल के निर्मित क्षेत्र पर 300 गुना
मासिक किराये हेतु न्यूनतम किराया पक्की दुकान का 80/- प्रति वर्ग मीटर

तथा कच्ची दुकान का 40/- प्रति वर्ग मीटर नियत किया जाता है जो भूमि के
अतिरिक्त निर्माण मूल्यमाना जाएगा । ग्रामीण क्षेत्र किराये के दरें आधी
मानी जाएंगी ।

§ 9§ न्युक्लिअर परिवार में क्रेता के अतिरिक्त पति-पत्नी/आश्रित कच्चे क्षेत्र मातृ/पिता ही माने जाएंगे । यदि अलग-अलग न्युक्लिअर परिवार के सदस्य किसी भूमि को
क्रय करते हैं तो प्रत्येक का भाग शहरी क्षेत्र के अन्दर 0.05 डिसिमिल § 10§ 0.02 हेक्टेयर
का अन्तरण शत-प्रतिशत आवासीय दर से मूल्यांकित होगा, किन्तु 5 डिसिमिल से
अधिक और अधिकतम 0.25 डिसिमिल तक की कृषि भूमि का हस्तान्तरण है और
वह आवासीय से बाहर है, तो वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, उसका मूल्यांकन
क्षेत्र अनुसार बसयाना दर पर किया जाएगा ।

§ 11§ नगर पालिका सीमा व टाउन एरिया सीमा से बाहर पांच मीटर को परिधि
में पड़ने वाली कृषि भूमि का मूल्यांकन पूर्व निर्देशानुसार किस्म गौन की
निर्धारित दर से दुगुनी दर पर होगा, इसके लिये तहसिलदार द्वारा नगर
पालिका सीमा से बाहर 500 मीटर परिधि का अवलोकन हेतु निश्चित प्रमाण-पत्र
ही मान्य होगा । क्योंकि नगर पालिका के बाहर क्रय विक्रय होने वाली म्हाण्डों
का उद्देश्य कृषि भूमि न होकर व्यवसायिक होता है ।

§ 12§ उपरोक्त कृषि भूमि में यदि छत्तरे के कालम 18 व 19 में अक्षक दर्ज की जाती
है अथवा कृषि फसल में खारीफ, रबी, जायद में भूमि का होना नहीं दर्शाया
जाता है तो नई संशोधित नियमावली नियम-3 § 13§ के अन्तर्गत विविक्त भूमि
का क्षेत्र वर्ग मीटर में आंका जाएगा ।

§ 14§ अक्षक भूमि जैसे-बाग, आन आदि में 3050 स्टाम्प § 15§ सम्पत्ति का मूल्यांकन -
नियमावली 1997 के नियम § 16§ 5 § 17§ के निर्देशानुसार मूल्यांकन किया
जाएगा ।

महोबा (सरर)

तहसिलदार
महोबा

जिलाधिकारी
चित्त/राजस
पदेव जिला सिविल
महोबा

जिलाधिकारी
महोबा

॥ ८ ॥ यदि कोई भूचाण्ड की दो किस्म की भूमि है तो अधिक दर की किस्म भूमि से दोनों पर मूल्यांकन आका जाएगा ।

॥ ९ ॥ कोई भूचाण्ड असिंचित तभी माना जाएगा जब तहसीलदार/तहसीलदार स्तर के रेवेन्यू अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मोहर सहित प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा/अथवा मूल्यांकन सिंचित मान कर किया जाएगा । यदि किसान वही की प्राप्ति दी जाती है तो उसे भी तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।

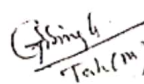
द्वितीय भाग

कृषि भूमि की न्यूनतम दरें ।

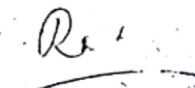
उपजिला महोबा ॥ सदर ॥ के विभिन्न भागों की स्थिति भूमिधारी की न्यूनतम मूल्य दर ।

किस्म भूमि	शहरी क्षेत्र प्रति हेक्टेअर		अर्ध-शहरी क्षेत्र प्रति हेक्टेअर	
	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
राह, भाट	1,17,000/-	0,91,000/-	0,98,000/-	0,71,000/-
रावर, पड़ुवा	1,56,000/-	1,17,000/-	1,43,000/-	0,91,000/-
रा	1,95,000/-	1,56,000/-	1,69,000/-	1,43,000/-
रा, तरी, योड़ा	2,60,000/-	2,28,000/-	2,28,000/-	1,95,000/-
उयाना	3,25,000/-	-	2,93,000/-	-
मान बरेजा	5,20,000/-	-	-	-
किस्म भूमि	विराष्ट ग्रामीण क्षेत्र प्रति हेक्टेअर		ग्रामीण क्षेत्र प्रति हेक्टेअर	
	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
राह, भाट	0,81,000/-	0,74,000/-	0,79,000/-	0,72,000/-
रावर पड़ुवा	1,26,000/-	0,81,000/-	1,24,000/-	0,79,000/-
रा	1,60,000/-	2,80,000/-	1,56,000/-	1,17,000/-
रा, तरी, योड़ा	2,02,000/-	1,67,000/-	1,95,000/-	1,63,000/-
उयाना	2,67,000/-	-	2,60,000/-	-


Tahsil Dar
महोबा


Tahsil Dar
महोबा


Tahsil Dar
महोबा


Tahsil Dar
महोबा

PARIHAR ASSOCIATES

Valuation Company 09415478258 परिषद, महोबा

नाम वार्ड	सम्मिलित अंश मुहल्ला वार्ड वार	सड़क से 100मी० तक	आवासीय दर प 8 चौड़ी गली पर	सड़क या पटिया जडा गली से 100मी० वाद अन्दर स्थित	
1	2	3	4	5	
01	नयापुरा नैकाना	नयापुरा नैकाना	1500/-	1200 /-	1000 /-
02	भोतरकोट	शुक्लाना/भोतरकोट	2500/-	2000/-	1200 /-
03	फतेहपुर बजरिया	फतेहपुर बजरिया/पुरवा	1200/-	1000/-	0900 /-
04	भट्टीपुरा	भट्टीपुरा/इन्द्रानगर/ कुरयाना	1200/-	1000/-	0900/-
05	रायकोट	रायकोट/मगरियापुरा/ इमलीवरा/जुगयाना	1200/-	1000/-	0900/-
06	आलमपुरा	फतेहपुर बजरिया/जिगरिया पौर/आलमपुरा	1200/-	1000 /-	0900 /-
07	माथुरनपुरा	माथुरनपुरा/मुकैरनपुरा/ चौसियापुरा	3000 /-	2500 /-	1300 /-
08	उजमनपुरा	उजमनपुरा/बाजार ग्रान्ट गंज/गल्ला बाजार/ भट्टियाना	3500/-	3000/-	1500/-
09	सराफोपुरा	दुबियानापुरा/हटवारा/ सराफोपुरा/रायकोट	1200/-	1000 /-	0900 /-
10	नैकानापुरा	नैकानापुरा/उजमनपुरा/ कसौरा/टपलाना/शुक्लाना	3000 /-	2500 /-	1300/-
11	बजरंग वार्ड	गांधीनगर/सत्तोपुरा/ आलमपुरा/फतेहपुर बजरिया	2000 /-	1500 /-	1100/-
12	नाल्पुरा	नाल्पुरा/मिलकीपुरा/ सत्तोपुरा	2500 /-	2000/-	1200 /-
13	मकसंनयापुरा	मकसंनयापुरा/भट्टीपुरा	1200 /-	1000 /-	0900 /-
14	सुभाषनगर	सुभाषनगर/कल्पसुता सागर/ गांधीनगर	2500 /-	2000 /-	1200 /-
15	ग्रान्ट गंज	ग्रान्ट गंज/पठानपुरा/ उजमनपुरा/शुक्लाना/ छिपयाना	3500 /-	3000 /-	1500 /-
16	हवेली दरवाजा/	डड़ियापुरा/बड़ीहाट/ नैकाना/हवेली दरवाजा	1200 /-	1000 /-	0900 /-
17	उदलचोक	कत्तोपुरा/काजापुरा/ जारोगंज	4000 /-	3500/-	2000 /-
18	मगरियापुरा	मगरियापुरा/दु. बयाना/ छिपयाना/महतवानापुरा/ शोखानपुरा/ककोट देवा/ भट्टियाना/पटाकपुरा	1200/-	1000 /-	0900 /-

महोबा

तहसीलदार
महोबा

17/8/20
धरम विद्यापीठ
विता/राजस्व
दरिद्र विद्या प्रकाश
महोबा

Re + 1

क.प.स.

PARIHAR ASSOCIATES

Valuation Company 09415478258

॥ 5 ॥

1	2	3	4	5	6
॥ 19 ॥	गांधीनगर	गांधीनगर/नासपुरा	3500/-	3000/-	1500/-
॥ 20 ॥	कस्बाथाई	कस्बाथाई/मलकपुरा/कादीपुरा/सत्तीपुरा	3500/-	3000/-	1500/-
॥ 21 ॥	सिंहमवानी	सिंहमवानी/समदनगर/नयापुरा भकाना	1200/-	1000/-	0900/-
॥ 22 ॥	मलकपुरा	पतईबरा/मलकपुरा	1500/-	1200/-	1000/-
॥ 23 ॥	बन्धानवाड	बन्धानवाड/मिशान/सप्ततला/रामनगर	1200/-	1000/-	0900/-
॥ 24 ॥	जवाहरनगर	जारीगंज/नयारियनपुरा/दौलतनपुरा/लमानपुरा/टिकरी/बाजापुरा	1200/-	1000/-	0900/-
॥ 25 ॥	बड़ीहाट	बड़ीहाट/डड़ियापुरा/मकनियापुरा	1200/-	1000/-	0900/-

नगर पंचायत, कबरई महोबा
/: नगर पंचायत, कबरई महोबा /:

क्रमांक	वार्ड का नाम	सड़क से 100मीटर तक	सड़क से 100मीटर बाद
॥ 01 ॥	गांधीनगर	800 रु. प्रति वर्ग मी.	500 रु. प्रति वर्ग मी.
॥ 02 ॥	राजोवनगर	800 "	500 "
॥ 03 ॥	जवाहरनगर	800 "	500 "
॥ 04 ॥	शास्त्रीनगर	800 "	500 "
॥ 05 ॥	लक्ष्मीबाई नगर	800 "	500 "
॥ 06 ॥	भगतसिंहनगर	800 "	500 "
॥ 07 ॥	सुभाषनगर	800 "	500 "
॥ 08 ॥	आजाद नगर	1000 "	800 "
॥ 09 ॥	विशालनगर	1200 "	900 "
॥ 10 ॥	इन्दिरानगर	1200 "	900 "
॥ 11 ॥	राजेन्द्रनगर	1300 "	1000 "
॥ 12 ॥	अम्बेडकर नगर	1300 "	1000 "
॥ 13 ॥	विवेकनगर	1300 "	1000 "

ग्रामीण क्षेत्र
/: ग्रामीण क्षेत्र /:

आवासीय भूमि :-

- ॥ 1 ॥ अर्द्ध-शहरी क्षेत्र -
॥ 2 ॥ ग्रामीण क्षेत्र -

800 /-

650 /-

॥ क ॥ विशिष्ट ग्राम
जहाँ राज्य मार्ग
के किनारे स्थित
है, जैसे-श्रीनगर,
कमाहा, अतरार
माफ, इमिलिया,
रिबईसुनेवा,
नहदौरामाफ,
करहराकला आदि

800 /-

650 /-

होबा (सदर)

तहसीलदार
महोबा

17/8/88
वरिष्ठ जिलाधिकारी
वित्त/राजस्व
पण्डित जिला निबन्धक
महोबा

Re.

5-8-88

॥ 02॥ अन्य बड़े ग्राम जहाँ बस द्वारा पहुँचने के साधन हैं तथा जिसमें साप्ताहिक एवं पारिच्छक बाजार भी लगती है ।

दर प्रति एकड़
650/-

दर प्रति एकड़
500/-

॥ 03॥ शेष सभी छोटे ग्राम

300/-

200/-

नोट :- अर्द्ध-शहरी क्षेत्र एवं विशिष्ट ग्रामोण क्षेत्रों को सूची प्रथम भाग में दी गयी है । उपरोक्त इंगित ग्रामों में उपरोक्त निर्धारित दर ही लागू होंगी ।

उप-निबन्धक
महोबा (सदर)

तहसीलदार
महोबा

17/8/19
मुख्य जिलाधिकारी
वित्त/राजस्व
इन्दौर जिला सिविल
इन्दौर

Ra
जिलाधिकारी
महोबा